

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(36)शिक्षा-2/2020 जयपुर दिनांक 09.12.2020 द्वारा श्री सुनील कुमार, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राउमावि 22 आर.जे.डी. घडसाना, श्रीगंगानगर के परिवीक्षाकाल में 30 दिवस से अधिक लिये गये असाधारण अवकाश की स्वीकृति पश्चात 49 दिवस का असाधारण अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	लिये गये अवकाश	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
1	14.11.2018 से 22.11.2018	09	कुल 49 दिवस (असाधारण अवकाश)
	01.04.2019 से 15.04.2019	15	
	08.07.2019 से 09.07.2019	02	
	12.07.2019	01	
	31.07.2019	01	
	02.08.2019 से 03.08.2019	02	
	16.08.2019	01	
	03.09.2019	01	
	05.09.2019 से 18.09.2019	14	
	28.09.2019 से 30.09.2019	03	

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.09.2019 द्वारा 30 दिवस का असाधारण अवकाश पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 08.08.2019 संशोधित परिपत्र दिनांक 25.10.2019 एवं पुनः संशोधित दिनांक 06.01.2020 के प्रावधानानुसार कार्मिक द्वारा परिवीक्षा अवधि में लिये गये अवकाशों के आधार पर नियमानुसार कुल (30+49) 79 दिवस की वृद्धि होगी। कार्मिक के असाधारण अवकाश अवधि का लेखा एवं इन्द्राज उसकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जावे।

(सौरभ स्वामी)
निदेशक,
आई.ए.एस.
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 17 / 12 / 2020

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/अवकाश/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा.....।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर